Form No. III
फर्द–अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

दलीचन्द रेगर बनाम **लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़**

कार्यवाही अन्तर्गत :– धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)**	नं0 **040**	सन् **2023**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2023	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी दलीचन्द पिता हरलाल रेगर निवासी रेवाडा वाया पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत **लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** को आवेदन दिनांक **22.02.2023** प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी अधीक्षण अभियंता पदेन परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ द्वारा उपलब्ध सूचना से असंतुष्ट होकर अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम **लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है एवं **लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** लोक सूचना अधिकारी(राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते है। ऐसी स्थिति में **लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता को बिन्दु पर इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, अपीलार्थी को सक्षम संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। -S/D- (अरविन्द कुमार पोसवाल) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ 04.04.2023 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	